

भूमि सुधार उप समाह्वार

(1)

न्यायालय अधुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद, पलामू।

आदेश पत्रक

महेन्द्र नारायण लाल वगैरह अपीलार्थी बनाम

मीरा कुमारी वगैरह - प्रतिपक्षी

सूची 14 फारम संख्या 562 देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 आदेश पत्रक

ता. _____ से _____ तक

जिला पलामू
नामान्तरण अपील सिविल खदा संख्या 03 - सन् 20.15

आदेशकी की क्र.सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>अपीलार्थी महेन्द्र नारायण लाल वगैरह के द्वारा नामान्तरण खदा संख्या - 162/2014-15 में अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2014 के विरुद्ध अपील आवेदन दाखिल किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अपील आवेदन के साथ अंचल पदाधिकारी, मोहम्मदगंज के द्वारा पारित किए गए आदेश का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अपील को सम्य सीमा को शांत करते हुए सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी से अभिलेख की मांग करें। तथा प्रतिवादी को सूचना निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>6/4/15</u> को सुनवाई हेतु रखें।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> भूमि सुधार उप समाह्वार, हुसैनाबाद-पलामू।</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>20/06/18</p> <p>27/6/18</p> <p>P.N. 41 05.3.2018</p>
6/4/15	उभय पक्ष अनुपस्थित अगली तिथि 22/4/15 को निर्धारित।	
22/4/15	अपीलार्थी को और से वकालतन हाजिरा / प्रतिवादी को और से मीरा कुमारी उपस्थित।	8/5/15

(9)

8/5/15

उपयुक्त पत्र श्री. अरि के वास्तव्य संपत्ति

1. L.C. record call for.
 2. Copy to op's shoulder given as soon.
- " put upon 18/5/15

[Signature]
18/5/15

21/6/15
17/5/15
100 Mark

18/5/15

प्रतिवादी का और से वकाबतन हाजरी।

27/5/15 की दे

[Signature]
18/5/15

27/5/15

उपयुक्त पत्र
अपराध
संपत्ति

श्री. अरि के वास्तव्य संपत्ति। L.C.
कॉपी। वकील की अग्र के वास्तव्य

L.C. record call for

12/6/15 की दे

[Signature]
27/5/15

12/6/15

उपयुक्त पत्र श्री. अरि के वास्तव्य संपत्ति
अपराध विनि 11/7/15 की निवेदन

27/5/15

11/7/15

उपयुक्त पत्र श्री. अरि के वास्तव्य संपत्ति अपराध विनि
24/5/15 की निवेदन

27/5/15

24/5/15

31/7/15

उभय पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी - काम

सु. प्र. उ. सं.

21.8.15

उभय पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी / काम
प्रतिपक्ष हाजिरा के अभाव में

31/8/15
सु. प्र. उ. सं.

16.9.15

उभय पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी / अगला तिथि 9.10.2015 से निर्धारित।

सु. प्र. उ. सं.

07.10.15

उभय पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी।
आपसी लिखि 20-11-15 / के न्युनमंडल का प्रमुख को
LER के गैंग के जई भी, लात का

31/10/15

24/11/16

उपनिर्वाह की ओर से वकालतन हाजरी
काम तिथि 24/11/16 से निर्धारित

सु. प्र. उ. सं.

24/11/16

24/11/16

उपनिर्वाह की ओर से वकालतन हाजरी
काम तिथि 6/11/16 से निर्धारित

सु. प्र. उ. सं.

6/11/16

उभय पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी
काम तिथि 6/11/16 से निर्धारित

सु. प्र. उ. सं.

4/11/16

उभय पक्ष श्री. मौर के वास्तव्य संपत्ति का
उपरोक्त दिनांक 18/11/16 में निवेदन

श्री. ए. डी. सिंह

18/11/16

उभय पक्ष श्री. मौर के वास्तव्य संपत्ति
उपरोक्त दिनांक 18/11/16 में निवेदन
उपरोक्त दिनांक 29/11/16 में निवेदन

श्री. ए. डी. सिंह

29/11/16

उभय पक्ष श्री. मौर के वास्तव्य संपत्ति
उपरोक्त दिनांक 29/11/16 में निवेदन

श्री. ए. डी. सिंह

28/11/16

उभय पक्ष श्री. मौर के वास्तव्य संपत्ति का
उपरोक्त दिनांक 17/11/16 में निवेदन

श्री. ए. डी. सिंह

17/11/16

उभय पक्ष श्री. मौर के वास्तव्य संपत्ति
उपरोक्त दिनांक 29/11/16 में निवेदन

श्री. ए. डी. सिंह

2/9/16

उभय पक्ष श्री. मौर के वास्तव्य संपत्ति
उपरोक्त दिनांक 11/11/16 में निवेदन

श्री. ए. डी. सिंह

11/11/16

उभय पक्ष श्री. मौर के वास्तव्य संपत्ति
उपरोक्त दिनांक 11/11/16 में निवेदन

श्री. ए. डी. सिंह
29/11/16

6/11/17 अर्पितकर्ता की ओर से वास्तविक धारणा
सुनवाई के शीर्षक में

6/11/17
प्र. प्र. प्र. प्र.

12/11/17

अभिलेख उपस्थित
सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय
को सूचना निर्गत की।

To 12/11/17

12/11/17

10.11.17 समय पत्र की ओर से अधिवक्ता हाजरी।

fixed for argument on

8/12/17

6.12.17 अर्पितकर्ता की ओर से बहस करने हेतु समय की मांग
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता हाजरी। अगली
तिथि 22.12.17 को निर्धारित।

22.12.17 समय पत्र अनुपस्थित। अगली तिथि 17.01.18
को निर्धारित।

मू. सु. उप. समी.

मू. सु. उप. समी.

(6)

13.01.18 अपीलार्थी की ओर से वकालतन हाजरी।
अगली तिथि 23/2/18 को निर्धारित।

भू.सु. उप लर्मा

23/2/18 अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता हाजरी।

for agreement on 4/4/18

~~23/2/18~~

4-4-18 उभय पक्ष अनुपस्थित।

To 11/5/18

~~4/4/18~~

11.05.18 अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता हाजरी।
13.06.18 अगली तिथि 18.06.18 को निर्धारित।

18.06.18 अपीलार्थी की ओर से वकालतन हाजरी।

भू.सु. उप लर्मा

To To 20/08/18 for
final agreement.

~~18/7~~

(१)

आदेश - पत्रक

(2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
18.07.18	<p>उभय पक्षों की हाजिरी। उभय पक्ष के विडान अधिवक्ता को बुला। आदेशाधीन दिनांक 25.7.18 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">18/7/18</p>	

(8)

आदेश - पत्रक
(2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
25.07.18	<p>The Court of ^{the} LRDC <u>Hussainabad.</u></p> <p>Mutation Appeal - 03/2015 Mahendra Narain Lal & others - Appellants</p> <p>vs Mira Kumari & others - Respondents</p> <p><u>Order.</u></p> <p>Heard the both the parties.</p> <p>The Instant Mutation appeal has been filed by the appellants against the order of Circle officer, Mohamadganj in Mutation Case No. 162/14-15.</p> <p>According to the appellants a mutation petition was filed</p>	

[Handwritten signature]

आदेश - पत्रक

(2)

9

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
	<p>by Misa Kumari before C.O. Mohamadganj and order has been passed in favour of applicant and accordingly correction slip was issued. The appli appellants of this appeal is residing at Hazaribagh therefore they had not got the knowledge of mutation. Case No. 162/14-15. The office of the Anchal Adhikari did not issue any notice to the co-sharers and the Halqa Karmchari and C.I. did not submit the real report. In the Ietchas the Respondent's No. 7, 8 have not acknowledged by the notice server. Therefore</p>	

[Handwritten signature]

आदेश - पत्रक
(2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
	<p>the order dated 24.09.2014 of Anchal Adhikari is not maintainable and fit to set aside.</p> <p>According to the respondents that the learned C.O. Mohamadgaj has properly and legally allowed the mutation application of the opposite party no. 1, it is fit to be confirmed. Secondly this appeal is barred by law of limitation and appellants have not assigned any cogent reasons for condoning of delay and without assigning of any reasons for condoning the delay this appeal is not maintainable and sustainable in the eyes of law. Fourthly</p>	

आदेश - पत्रक

(2)

④ 11

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
	<p>Halka Karanchari has held spot enquiry for determining of possession over the land under this appeal and submitted the report accordingly.</p> <p>Main concern of the instant appeal is whether the procedure of mutation is followed by the C.O. recording as per the provisions of The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 and The Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Rules, 1976.</p> <p>According to the section 14(2) of the said Act :-</p> <p>The Anchal Adhikari shall issue a general notice and also give notice</p>	

[Handwritten signature]

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------

to the parties concerned to file objection, if any, the Anchal Adhikari shall give reasonable opportunity to the parties concerned to adduce evidence, if any, and of being heard and dispose of the objection and pass such orders as may be deemed necessary."

According to the Rule 34 of the said Act :-

Under Section 14(2) Sarpanch shall get the notice served to the parties by the Gram Sewak. On the notice to the general raiyats he shall obtain signature of at least five persons

[Handwritten signature]

आदेश - पत्रक

(2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई
	<p>of different parts of the village and of different families. A copy of the notice to parties and to general raiyat shall be exhibited on the notice board of Panchayat office and on any important place of the concerned village. The notice shall be issued at least 15 days before the date of hearing."</p> <p>Seen the lower court record with respect to above rule. A notice to general raiyat has been issued on 03/09/2014 by the C.O. but served to only four persons. Further notice is not issued</p>	



आदेश - पत्रक
(2)

क 14

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई
	<p>to other demand holder of the concerned demand. Further to c.o. has not put his specific order regarding the accepting or denying denying of the mutation application in the his order dated 24/09/2014</p> <p>Hence in the light of the above discussion in my opinion the c.o. has not followed the norms and provisions of 'The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act 1973 and 'The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Rules, 1976. So the matter is remitted to the c.o. Mohamadgarh for disposal of the mutation application in accordance with law.</p>	

25/7/18